

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:-176/17

1. सत्यनारायण सिंह राठौड़ पुत्र स्व. श्री हरि सिंह राठौड़, जाति राजपूत, निवासी प्लाट नम्बर 102, जसवन्त नगर, खातीपुरा, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।
2. श्याम नगर विकास समिति, कमल पथ, भागीरथ मार्ग, श्याम नगर, जयपुर जरिये तथाकथित सचिव, ओ.पी.अग्रवाल, निवासी डी-90, जनपथ श्याम नगर, जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक: 04.10.2017

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, जोन-5, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आदेश दिनांक 08.01.2015 (प्रकरण संख्या 3/2014) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 90क के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि राजस्व ग्राम सोडाला तहसील जयपुर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 279 रकबा 2 बिस्वा गैर मुमकिन चाह, खसरा नम्बर 280 रकबा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 281 रकबा 18 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 18 बीघा 7 बिस्वा श्री सुमेर सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह राजपूत की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी तथा राजस्व भू-अभिलेखों में श्री सुमेरसिंह का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज था तथा खातेदार श्री सुमेर सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह ने उपरोक्त वर्णित भूमि दिनांक 13.07.1961 के पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा श्री रोशनलाल पुत्र श्री हिम्मतमल माथुर निवासी बनीपार्क हिस्सा 1/3, श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री ज्वालादास माथुर निवासी सी-स्कीम हिस्सा 1/3 तथा अपीलार्थी सत्यनारायण सिंह हिस्सा 1/3 का विक्रय कर कब्जा संभला दिया, जिस विक्रय पत्र में स्पष्टतः अंकित किया गया कि श्री रोशनलाल पुत्र हिम्मतमल को उक्त भूमि के उत्तर की तरफ 1/3 हिस्सा, दक्षिण की तरफ का 1/3 हिस्सा अपीलान्ट सत्यनारायण सिंह का तथा बीच के 1/3 हिस्से की भूमि श्री नन्दकिशोर को विक्रय की जा रही है, उक्त विक्रय पत्र को उप पंजीयक जयपुर सिटी ने पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 203, पृष्ठ संख्या 329 से 332 क्रम संख्या 2097 पर दिनांक 11.08.1961 को पंजीकृत किया गया, इस प्रकार तीनों ने विशिष्ट हिस्से की भूमि क्रय की गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि श्री रोशनलाल ने अपने उत्तरी 1/3 हिस्से की भूमि कीर्ति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति को विक्रय कर दी और श्री नन्दकिशोर पुत्र ज्वालादास माथुर ने अपने 1/3


संभागीय आयुक्त
P.T.O.
जयपुर

(2)

हिस्से की भूमि का नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति को विक्रय कर दी जिन भूमियों पर उक्त समितियों ने क्रमशः कीर्ति नगर एवं साकेत नगर के नाम से अपनी स्कीम काट दी।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अपीलार्थी का जन्म दिनांक 14.07.1958 को हुआ, अपीलार्थी की नाबालगी की स्थिति में ही न्यू पिकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति ने एक फर्जी मुख्यारनामा आम बनवा लिया और उस मुख्यारनामा से दिनांक 01.10.1974 को एक विक्रय पत्र न्यू पिक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति के पक्ष में तहरीर करवा कर पंजीकृत करवा लिया दस्तावेज पूर्णतः फर्जी, अवैध व प्रभावशून्य है, न्यू पिकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति ने अपीलार्थी के 1/3 हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में जो उक्त फर्जी विक्रय पत्र तहरीर कर पंजीकृत कराया था, जिसके आधार पर समिति ने श्यामनगर एक्सटेंशन डी-ब्लॉक के नाम से स्कीम काटी और उसमें दक्षिण-पूर्वी हिस्से की भूमि को फैसेलिटी के रूप में पार्क हेतु दर्शाया गया। उन्होंने कथन किया है कि कीर्ति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति, नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति तथा न्यू पिकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति ने साजिश कर तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर से धारा 90 बी (1) के तहत आवेदन प्राधिकृत अधिकारी उपायुक्त जोन बी-1, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के समक्ष प्रस्तुत करवाये और उक्त कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लाना जाहिर कर प्रकरण संख्या 8 व 9 में दिनांक 22.10.1999 को आदेश पारित करवा कर उक्त भूमि से खातेदारों के खातेदारी अधिकार समाप्त कर उक्त भूमि का पर्यावसान किया जाकर जयपुर विकास प्राधिकरण में निहित होने के आदेश पारित करवा लिया, तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश दिनांक 22.10.1999 के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील संख्या 47/2005 एवं अपील संख्या 48/2005 प्रस्तुत की गई जो न्यायालय श्रीमान् के निर्णय दिनांक 17.07.2006 से अपीलान्त की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्राधिकृत अधिकारी, जोन बी-1 का आदेश दिनांक 22.10.1999 को निरस्त कर प्रकरण अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया गया जिसकी पालना में प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-5 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर ने उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की और दिनांक 08.12.2010 को आदेश पारित कर कीर्ति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति तथा नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जो 1/3-1/3 हिस्से की भूमि क्रय की थी उन भूमियों के सम्बन्ध में पारित आदेशों को तो बहाल रखा और न्यू पिकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति के पक्ष में जो फर्जी विक्रय पत्र तहरीर करवा कर अपीलार्थी के 1/3 हिस्से की भूमि पर जो श्याम नगर एक्सटेंशन डी-ब्लॉक के नाम से स्कीम काटी गई थी उससे सम्बन्धित 90 बी के आदेश को निरस्त फरमा दिया गया जिसके विरुद्ध किसी भी व्यक्ति ने कोई अपील इत्यादि प्रस्तुत नहीं की गई है और उक्त आदेश अंतिम हो गया।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि न्यू पिकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति ने अपीलार्थी के 1/3 हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में जो



P.T.O. आधिवक्ता
जयपुर

(3)

फर्जी विक्रय पत्र तहरीर कर पंजीकृत कराया था और उसके आधार पर अपने अधिकार होना प्रकट करते हुए जो श्याम गनर एक्सटेन्शन डी-ब्लॉक के नाम से स्कीम काटी थी उसमें दक्षिणी-पूर्वी हिस्से की भूमि को फैसेलिटी के रूप में पार्क हेतु दर्शाया गया था परन्तु जब दिनांक 08.12.2010 के आदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उपायुक्त जोन-5 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर ने प्रकरण संख्या 1/20006 उनवानी सरकार बनाम सत्यनारायण सिंह में दिनांक 08.12.2010 को आदेश पारित कर न्यू पिकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति के सम्बन्ध में धारा 90बी के तहत पारित आदेश को अंतिम रूप से निरस्त फरमा दिया तब तथाकथित श्यामनगर विस्तार डी-ब्लॉक स्कीम पूर्णतः निरस्त हो गई और उसके आधार पर नक्शों में उक्त भूमि को किसी भी रूप में दर्शा दिये जाने का कोई भी प्रकार का कोई आधार हमेशा के लिये समाप्त हो गया तथा उक्त आदेश दिनांक 08.12.2010 जब अंतिम रूप से निरस्त कर दिया तब तहसीलदार जयपुर ने दिनांक 22.07.2011 को उक्त 1/3 हिस्से की भूमि जो खसरा नम्बर 281 की दक्षिणी ओर की भूमि है, को पुनः अपीलार्थी के नाम अंकित कर दिये जाने का आदेश पारित किया जिसकी क्रियान्विति में दिनांक 22.07.2011 को नामान्तरकरण संख्या 180 तस्दीक किया जाकर उक्त 1/3 हिस्से की भूमि पुनः अपीलार्थी की खातेदारी में अंकित कर दी गई है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अपीलार्थी ने भूमि खसरा नम्बर 281 के दक्षिणी-पूर्वी कोने की 500 वर्गगज भूमि के सम्बन्ध में एक आवेदन अन्तर्गत धारा 90ए के तहत उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी जोन-5, जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष दिनांक 07.08.2014 को प्रस्तुत कर उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 90ए के तहत रूपान्तरकरण आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया, अपीलार्थी के उक्त आवेदन पर दिनांक 11.08.2014 को दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में अधिसूचना प्रकाशित की गई जिसके सम्बन्ध में दिनांक 13.08.2014 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की ओर से कुछ आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई, उक्त आपत्तियों का अपीलार्थी ने दिनांक 15.09.2014 को विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया परन्तु उसके पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को किसी भी प्रकार का कोई पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना दिनांक 08.01.2015 को अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलान्त के उक्त आवेदन को निरस्त फरमा दिया जो तथ्यों एवं कानून के विपरित होने एवं विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना कतई परवर्स एवं पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मूलतः यह अंकित करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है कि सुविधा क्षेत्र के रूप में घोषित भूखण्डों का उपयोग परिवर्तन करने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय पारित किया हुआ है, अधीनस्थ न्यायालय की यह टिप्पणी पूर्णतः आधारहीन व अवैध है क्योंकि जब न्यू पिकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति ने अपीलार्थी के नाम से जो विक्रय पत्र पंजीकृत कराया था उसे फर्जी व अवैध होना मानते हुये तथाकथित श्यामनगर


अधिवक्ता
P.T.O.
जयपुर

(4)

एक्सटेंशन डी-ब्लॉक स्कीम बनाई थी उसे पूर्णतः निरस्त कर दिया गया है तब उस स्कीम के तहत तथाकथित रूप से सुविधा क्षेत्र में छोड़े गये भूखण्ड को सुविधा क्षेत्र माने जाने का कोई आधार ही नहीं है परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आधार पर अपीलधीन निर्णय पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, जोन-5, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष अपने प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही की जानकारी हेतु प्रयास करता रहा परन्तु प्राधिकृत अधिकारी जोन-5, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के कर्मचारियों के द्वारा उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई तब अपीलार्थी ने न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-5, के समक्ष एक आवेदन अपने पुत्र कर्णसिंह राठौड़ के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत दिनांक 02.02.2015 प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-5 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा डिस्पेच क्रमांक जविप्रा/उपा/जोन-5/2015/डी-4695 दिनांक 24.02.2015 को स्पीड/रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रार्थी के पते पर प्रेषित किया है, जो पत्र प्रार्थी को दिनांक 26.02.2015 को प्राप्त हुआ जिसके पठन से प्रार्थी को उक्त आदेश की जानकारी हुई और प्रार्थी/अपीलान्त ने जानकारी के दिन से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है वह विलम्ब उपरोक्त वर्णित कारणों की वजह से मजबूरन हुआ है जिसमें प्रार्थी की किसी प्रकार की कोई गंभीर असावधानी अथवा बुरी भावना नहीं है, न्याय के हित में आवश्यक है कि अपील प्रस्तुत करने में प्रार्थी को जो विलम्ब हुआ है उसे माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित फरमाया जावे।

उन्होंने कथन किया है कि खसरा नम्बर 281 की दक्षिणी 6 बीघा 2 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि अपीलार्थी की तन्हा खातेदारी एवं कब्जे तथा उपयोग व उपभोग की भूमि है, दिनांक 13.07.1961 को उक्त भूमि के पूर्व खातेदार कृषक सुमेरसिंह पुत्र रणजीत सिंह ने जो विक्रय पत्र पंजीकृत कराया उसमें दक्षिणी 1/3 हिस्से की भूमि तन्हा अपीलार्थी को विक्रय किया जाना स्पष्टः अंकित है और दिनांक 29.07.2011 को तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 80 के आधार पर उक्त भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से पुनः अपीलार्थी के नाम खातेदारी में अंकित की जा चुकी है तब उक्त भूमि के विशिष्ट 500 वर्गगज भू-भाग रूपान्तरित करने का अपीलार्थी को पूर्ण अधिकार प्राप्त है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि पर अपीलार्थी के अधिकारों के सम्बन्ध में विचार किये बिना ही आधारहीन तथ्य अंकित करते हुये अपीलधीन निर्णय पारित किया जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई अपीलधीन निर्णय दिनांक 08.01.2015 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में सभी पहलुओं पर

P.T.O.

अधीनस्थ अधिवक्ता
जयपुर

(5)

विचार एवं परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधिक प्रावधानों एवं कानूनन उचित होने के कारण अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 ने अपील के तथ्यों के अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि प्राधिकृत अधिकारी उपायुक्त जोन-5, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा विधि अनुसार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, गौरतलब है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.12.2010 को पारित जिस आदेश का उल्लेख किया गया है उक्त आदेश पारित किये जाने से काफी वर्षों पूर्व ही उक्त भूमि का स्वरूप पूर्णरूपेण बदल गया था एवं उक्त भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुये कई व्यक्तियों को विधिवत रूप से पट्टे जारी कर दिये गये थे जिनके द्वारा अपने भवनों को निर्माण करवा लिया गया था, अपीलार्थी को उक्त सम्बन्ध में पूरी जानकारी होने के बावजूद भी उक्त भूमि पर जिन व्यक्तियों को जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा विधिवत रूप से पट्टे जारी किये गये थे एवं जिन व्यक्तियों द्वारा अपने मकान का निर्माण करवा लिया गया था, को पक्षकार नहीं बनाया गया एवं उक्त आदेश पारित करवा लिया गया, दिनांक 08.12.2010 को पारित उक्त आदेश प्रारम्भ से ही अवैध है एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 समिति के विरुद्ध बेअसर है।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि प्राधिकृत अधिकारी जोन-5 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा दिनांक 08.01.2015 को जो आदेश पारित किया गया है, वह विधि अनुसार पारित किया गया है एवं अपीलार्थी के आवेदन को सही प्रकार से निरस्त किया गया है, जो पूर्णतः वैध है। उन्होंने आगे कथन किया है कि श्यामनगर कॉलोनी कई वर्षों पूर्व कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुये कृषि भूमि से आबादी भूमि में परिवर्तित हो गई थी एवं सम्पूर्ण भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में समर्पित हो गई तथा जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा अनुमोदित कॉलोनी के रूप में विकसित हो गई तथा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विधि अनुसार प्रक्रिया अपनाकर एवं शुल्क लेकर सभी प्लॉट मालिकों को लीजडीड जारी करके पट्टा दे दिया है जिसकी रजिस्ट्री हो गई है एवं सभी प्लॉट मालिक अपने-अपने प्लॉट पर काबिज है।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि प्लॉट संख्या ए-157ए, अयोध्या पथ, श्याम नगर, जयपुर के पास की भूमि को पहले जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने नक्शों में पार्क बताकर उसको विकसित करने के लिए छोड़ रखा था, प्लॉट संख्या ए-157ए, अयोध्या पथ, श्याम नगर जयपुर पर छोड़ा गया पार्क टेडा होने के कारण बाद इन दोनों भागों को सीधा कर दिया तथा प्लॉट संख्या ए-157ए अयोध्या पथ, श्याम नगर, जयपुर के पास की भूमि को सुविधा क्षेत्र पार्क के रूप में दर्शाया गया है, प्लॉट संख्या ए-157ए अयोध्या पथ, श्याम नगर जयपुर के स्वामी को पट्टे के साथ जो साईट प्लान की प्रति जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा

P.T.O.
जयपुर

(6)

जारी की गई है, उसमें इस स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है तथा अपीलार्थी द्वारा अपील के ज्ञापन में वर्णित खसरा नम्बर आज की तारीख में कही भी अस्तित्व में नहीं है, अपीलार्थी ने धारा 90क राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत क्लेम कानून के विपरित, बिना किसी आधार के प्रस्तुत किया है, जो कि गलत है तथा कानूनी रूप से उक्त भूमि पर उसका कोई खातेदार की हैसियत से अधिकार नहीं है।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि अपीलार्थी स्वयं को 1/3 हिस्से का मालिक बताता है, यह कौनसा हिस्सा तथा किस तरफ है इसका कोई विवरण नहीं है जबकि सम्पूर्ण खसरा की जमीन सभी मालिकों ने 1974 में ही जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दी थी तथा उसी समय सम्पूर्ण जमीन का कब्जा भी दे दिया था, अपीलार्थी उक्त वर्णित भूमि का खातेदार ही नहीं है तब वह किसी भी कार्यवाही करने के लिये सक्षम नहीं है। उन्होंने कथन किया है कि अपीलार्थी सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर आबादी में आई भूमि को जिस पर जयपुर विकास प्राधिकरण का स्वामित्व है तथा अधिपत्य है और जिसे जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर ने नक्शे में सुविधा क्षेत्र/पार्क के रूप दर्शित किया गया है, अपने अधिग्रहण में करना चाहता है जबकि कानूनी रूप से सुविधा क्षेत्र/पार्क की भूमि पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती तथा किसी को प्लॉट आवंटित नहीं हो सकता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सुविधा क्षेत्र/पार्क की जमीन को कोई भी संस्था चाहे वो सरकारी या गैर सरकारी हो, किसी को आवंटित नहीं कर सकती है। उन्होंने आगे कथन किया है कि राजस्थान अभिधूति अधिनियम 1955 की धारा 63 प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं है क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में जिस भूमि के सम्बन्ध में विवाद किया गया है वह आबादी भूमि है और जिसका कन्वर्जन वर्षों पूर्व आबादी भूमि के रूप में हो चुका है, ये भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण में निहित हो चुकी है, अतः प्रस्तुत मामले में धारा 90ए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, इसलिये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मय हर्जे-खर्चे खारिज फरमाई जावे।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नज़ीरें हैं जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रुख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के संलग्न तहसीलदार जोन-5, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक 6 दिनांक 06.01.2015 के अनुसार न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 17.07.2006 की पालना में प्राधिकृत अधिकारी जोन-5 द्वारा निर्णय दिनांक 08.12.2010 के

संयोजी P.T.O. अधिवक्ता
जयपुर


(7)

द्वारा धारा 90 बी के पूर्व प्रसारित आदेश दिनांक 22.10.1999, जो खसरा नम्बर 279, 280 व 281 के 1/3 भाग न्यू पिकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना श्यामनगर विस्तार डी के सन्दर्भ में थे, को निरस्त कर दिया गया है तथा उपायुक्त के पत्रांक से स्पष्ट है कि तहसीलदार जयपुर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जोन-5 के आदेश की पालना में 1/3 हिस्से की खातेदारी अपीलान्ट क नाम दर्ज की गई है, ऐसी स्थिति में जब अपीलार्थी के हिस्से की आराजी पर की गई धारा 90 बी कार्यवाही निरस्त हो चुकी है तो अपीलार्थी की आराजी पर दर्शाया गया पार्क/सुविधा क्षेत्र अस्तित्व में ही नहीं है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2015 पारित किया गया है, जिसे कानूनन उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, जोन-5, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी, जोन-5, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं प्रकरण की विस्तृत जांच की जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें


(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 04.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


संभागीय आयुक्त,
जयपुर